CGRP01–005769–2023
दावा प्र०क्र०–555/2023
श्रीमती रजनी निषाद वगैरह विरूद्ध अभय कुमार यादव वगैरह
II-157
C.J.

Witness no. .... 01 ....for ...... (**अनावेदक साक्षी क्रं–02 के साक्षी–1**)..... Deposition taken the....**गुरूवार** ......day of.......23/07/2026.....Witness's apparent age......38 **वर्ष** ....

States on affirmation......**शपथ पूर्वक**.....My name is.........**ऋषभ पाण्डेय** ....

S/ of ....**श्री डी० पी० पाण्डेय** .... occupation ....**विधि अधिकारी** ....

address...**बजाज जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड शिव मोहन भवन पण्डरी रायपुर (छ०ग०)**............

मुख्यपरीक्षण द्वारा श्री प्रदीप कुमार पाल अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्रं–02

01. मैं जनवरी 2019 से बजाज जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के रायपुर कार्यालय में विधि अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। हमारी बीमा कम्पनी से श्री अभय कुमार ने नयी मोटर सायकल जिसका ईंजन नम्बर M03267 एवं चेचीस नम्बर M11288 है, का बीमा आवरण ओन डेमेज सेक्शन हेतु दिनांक 01.10.2019 से दिनांक 30.09.2020 तक के लिए तथा तृतीय पक्ष लाईबिलिटी हेतु दिनांक 01.10.2019 से दिनांक 30.09.2024 की अवधि के लिए पॉलिसी नम्बर OG–20–2303–1826–00005855 के द्वारा प्राप्त किया है, जिसकी कार्यालयीन प्रति **प्रदर्श डी–01** है, जो दो पृष्ठों में है जिसके A से A भाग पर मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय के मुद्रा है तथा B से B भाग पर ड्राईवर क्लॉज का उल्लेख है, जिसके अनुसार बीमित वाहन चलाने वाले व्यक्ति के पास उसी वर्ग का ड्राईविंग लाईसेंस होना अनिवार्य शर्त है।

02. इस प्रकरण से संबंधित वाहन स्वामी के द्वारा स्वतः बीमित मोटर सायकल चलाकर दुर्घटना करना बतलाया गया है इस कारण हमारी बीमा कम्पनी की ओर से वाहन स्वामी को अधिकृत पंजीकृत नोटिस प्रेषित कर ड्राईविंग लाईसेंस सहित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया था, जिससे संबंधित नोटिस की सत्यप्रति दस्तावेज है **प्रदर्श डी–02** एवं पोस्टल रसीद की असल **प्रदर्श डी–03** है, इसके अतिरिक्त हमारी कम्पनी की ओर से जन सूचना अधिकारी पुलिस थाना आरंग को अन्वेषक श्री सनत क्षत्रिय के माध्यम से भी नोटिस प्रेषित कर वाहन चालक की

CGRP01–005769–2023
दावा प्र०क्र०–555/2023
श्रीमती रजनी निषाद वगैरह विरूद्ध अभय कुमार यादव वगैरह
II-157
C.J.

Witness no. .... 01 ....for ...... (**अनावेदक साक्षी क्रं–02 के साक्षी–1**)..... Deposition taken

ड्राईविंग लायसेंसे के साथ अन्य दस्तावेजों की मांग किया गया था, जिसकी सत्यप्रति **प्रदर्श डी–04** और असल पोस्टल रसीद **प्रदर्श डी–05** है एवं अभिस्वीकृति का ट्रेकिंग शीट **प्रदर्श डी–06** हैं इसके अतिरिक्त हमारी कम्पनी की ओर से श्री सनत क्षत्रिय ने वाहन स्वामी–चालक श्री अभय कुमार यादव को एक अन्य मांग पत्र भेज कर ड्राईविंग लायसेंस सहित अन्य दस्तावेजों की मांग किया गया, जिसकी सत्यप्रतिलिपि **प्रदर्श डी–07** एवं अभिस्वीकृति का ट्रेकिंग शीट **प्रदर्श डी–08** है । इस प्रकरण में दावेदारगण की ओर से पुलिस थाना आरंग जिला रायपुर के द्वारा दर्ज प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक 0109/2023 भी प्रस्तुत किये जाने के कारण पुलिस की ओर से तस्दीक के बाद निष्पादित अंतिम प्रतिवेदन भी हमारी कम्पनी की ओर से पेश किया गया है जो **प्रदर्श डी–09** है ।

03. हमारी कम्पनी के द्वारा सम्पूर्ण प्रयास करने के बाद भी वाहन स्वामी ने उसका ड्राईविंग लायसेंसे नही दिया और न ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 134 मोटर यान अधिनियम के परिपालन में उसका ड्राईविंग लायसेंसे होना प्रमाणित किया है जबकि पुलिस के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार उसके द्वारा ड्राईविंग लायसेंसे धारित न करने संबंधित पृथक अपराध पंजीबद्ध करना भी बताया गया है, एवं वाहन स्वामी–चालक के द्वारा वैध व प्रभावशील ड्राईविंग लायसेंसे धारित किये बिना वाहन चलाकर दुर्घटना किये जाने के कारण उसके लिए हमारी बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति करने हेतु दायित्वधीन नही है ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री शशिकांत तिवारी अधिवक्ता वास्ते आवेदकगण

04. यह कहना सही है कि इस प्रकरण से संबंधित मृतक तृतीय पक्ष की श्रेणी है । यह कहना सही है कि **प्रदर्श डी–04** व **प्रदर्श डी–07** मेरे द्वारा एवं मेरे समक्ष प्रेषित नही किया गया है । स्वतः कहा कि इसे हमारी कम्पनी के अन्वेषक के द्वारा प्रेषित किया गया है । यह कहना सही है कि **प्रदर्श डी–04** और **प्रदर्श डी–07** के सूचना प्रेषित करने वाले व्यक्ति के मूल हस्ताक्षर नही है । गवाह स्वतः कहता है कि हस्ताक्षर की छाया प्रति है ।

CGRP01-005769-2023
दावा प्र०क्र०-555/2023
श्रीमती रजनी निषाद वगैरह विरूद्ध अभय कुमार यादव वगैरह
II-157
C.J.

Witness no. .... 01 ....for ...... **(अनावेदक साक्षी क्रं-02 के साक्षी-1)**..... Deposition taken

05. यह कहना सही है कि मैं स्वतः वाहन स्वामी से सम्पर्क नही किया हूॅ और न ही उसे बतौर साक्षी आहुत करने हेतु कार्य किया हूॅ । स्वतः कहां कि इस दावा प्रकरण में अनावेदक क्रमांक-01 जो वाहन स्वामी-चालक है को पक्षकार बनाकर न्यायालयीन नोटिस भेजवाने के बाद स्वतः अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर कार्यवाही कर रहा था । यह कहना गलत है कि बीमा कम्पनी को क्षतिपूर्ति के दायित्व से बचाने के लिऐ आज वाहन स्वामी के पास ड्राईविंग लायसेंसे न होने संबंधित असत्य बातें बतला रहा हूॅ ।

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया,
सही होना स्वीकार किया।

सही/-

(यशोदा नाग)
द्वादश मो0दु0दावा अधि0
रायपुर (छ0ग0)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही/-

(यशोदा नाग)
द्वादश मो0दु0दावा अधि0
रायपुर (छ0ग0)

साक्षी का हस्ताक्षर ....